



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235911
CG-DL-E-20052022-235911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]
No. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सा.का.नि. 370(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1(च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नियुक्त किए गए सदस्य का नाम
1.	श्री असीम सूत्रधार, महासचिव, नेशनल यूनियन ऑफ वॉटरफ्रंट वर्कमेन (आई)
2.	श्री समरेंद्र मंडल, महासचिव, कलकत्ता पोर्ट एंड शोर मजदूर यूनियन

2. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी। यह नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, अथवा चेक-ऑफ की वैधता तिथि तक, अथवा सदस्यों के द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, वैध है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(PHRD Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1(f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Central Government hereby appoints the following persons on the Board of Shyama Prasad Mookerjee Port Authority as Members representing the interests of the employees of the Major Port Authority:-

Sl. No.	Name of Member appointed
1.	Shri Asim Sutradhar- General Secretary, National Union of Waterfront Workmen (I)
2.	Shri Samrendra Mondal, General Secretary, Calcutta Port & Shore Mazdoor Union

2. The Appointment of Members of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the finalization of Rules under Major Port Authority Act, 2021, or till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part(1)]
VIKRAM SINGH, Jt. Secy.